न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी पुष्कर कुमार मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व दावा संख्याः— 151/2015

1. देवीसिंह
2. किशनसिंह
3. पदमसिंह
4. पूरनसिंह

पुत्रगण मनीराम जाति खाती निवासी ग्राम विसदा तहसील व जिला भरतपुर

.....वादीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील भरतपुर

.....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955

उपस्थितः—

1. श्री तालेराम
   अभिभाषक वादीगण
2. सुश्री पायल जैन,
   नायब तहसीलदार,
   पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2018

वादीगण द्वारा दिनांक 06.08.2015 को यह राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 आर0टी0एक्ट 1955 का विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय के साथ

(1)

(देवीसिंह वगै0 बनाम् राज0 सरकार)

पेश किया कि ग्राम चक बिसदा स्थित हाल आ0ख0नं0 28/0.06, 32/0.50 किता—2 कुल रकवा 0.56 है0 जिन्हे गत ख0नं0 15 मिन रकवा 0.16 बिसवा तथा 26 मिन रकवा 2 बीघा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से बनाया गया है। यह आराजी हरबल व यादराम की गैर मौरूसी की आराजी थी। जिसे वादीगण के पिता ने सम्वत् 2012 में हमेशा–हमेशा के लिए काश्त कर ले लिया था। तभी से वादीगण के पिता तथा पिता की मृत्यु उपरान्त वादीगण काबिज काश्त खातेदार की हैसियत से चले आ रहे है। परन्तु राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता को खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा मौका खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है। वादीगण गत 60 वर्षो से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त कर चुके है। दिनांक 20.07.2015 को प्रतिवादी द्वारा वादीगण को धमकी दी गयी कि अब उन्हे काश्त न करने दी जायेगी तथा खातेदारी नही चढ़ाई जायेगी।

अतः वादीगण द्वारा प्रार्थना की गयी कि वादग्रस्त हाल आ0ख0नं0 28/0.06, 32/0.50 किता– 2 कुल रकवा 0.56 है0 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी में हस्तक्षेप न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादी जरिये सम्मनों से की गयी। प्रतिवादी के प्रतिनिधि पैरोकार सरकार उपस्थित न्यायालय आये। उन्होने दिनांक 28.03.2016 को जवाबदावा पेश किया कि वादीगण द्वारा दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी का नोटिस नही दिया है। दावा वादी खारिज किया जावे।

अभिभाषक वादीगण व पैरोकार सरकार की उपस्थिति में दिनांक 29.08.2016 को निम्न तनकी कायम की गयीः–

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी से वर्तमान अंकन कलमजन करा स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी है।

..... वादीगण

2. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है।

..... वादीगण

3. आया धारा 80 सीपीसी का नोटिस न देने से दावा काबिल खारिजी के है।

..... प्रतिवादी

4. दादरसीः– ?

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण द्वारा अपने दावा के कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2028–31, नकल जमाबन्दी समवत् 2011–14, नकल मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्ती, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010–13, नकल खसरा पत्रकं बन्दोबस्ती सम्वत् 2050, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2020–23 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016–19, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020–23 को पेश किया। मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान वादी देवीसिंह PW-1 पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की। प्रतिवादी द्वारा किसी भी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश न करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी।

बहस अभिभाषक वादीगण व पैरोकार सरकार की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकी वाईज निर्णय की विवेचना निम्न प्रकार हैः–

तनकी सं0 1:– वादीगण द्वारा अपने वादपत्र की मद संख्या 4 में अंकित किया है कि उनके पिता मनीराम की मृत्यु हो चुकी है। अपने इस कथन के समर्थन में उन्होने मनीराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र को पेश नही किया है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में वादग्रस्त आराजी पर मनीराम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। गत ख0नं0 15 मिन रकवा 0.16 बिस्वा व 26 मिन रकवा 2 बीघा से मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल ख0नं0 28/0.06, 32/0.50 किता–2 कुल रकवा 0.56 है0 बने है जो गत रकवा से 0.11 है0 अधिक है। यह 0.11 है0 रकवा किसका है। वादीगण ने स्पष्ट नही किया है कि वादीगण

ने अपने वादपत्र की मद सं0 5 में अंकित किया है कि हरबल व यादराम गैर मौरूसी से वादीगण के पिता मनीराम ने सम्वत् 2012 में हमेशा के लिये आराजी काश्त कर ली। परन्तु सम्वत् 2012 की नकल जमाबन्दी में वादी के पिता मनीराम बतौर शिकमी कृषक दर्ज नही हैं वादीगण के पिता मनीराम सम्वत् 2020–23 की जमाबन्दी में गैर खातेदार दर्ज हैं। परन्तु उनकी गैर खातेदारी का स्त्रोत क्या है। सम्वत् 2012 से 2018 तक मनीराम शिकमी दर्ज अभिलेख नही हैं वादीगण अपनी गैर खातेदारी के स्त्रोत को स्पष्ट करे यह वादीगण का दायित्व हैं वादीगण वादग्रस्त आराजी पर स्वयं की गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी नही है। यह तनकी विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 2:– यहां वादीगण की खातेदारी ही प्रमाणित नही वहा वादीगण वादग्रस्त आराजी बावत् स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्ति के अधिकारी नही है। यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 3:– वादीगण द्वारा धारा 80 सीपीसी का नोटिस दावा करने से पूर्व नही दिया है। ऐसी कोई अरजैन्सी दावा करने की वादीगण द्वारा प्रमाणित नही की है जिससे धारा 80 सीपीसी का नोटिस देने से उसे न्याय में विलम्ब होता। वादीगण को अपना स्टेट्स ऑफ सैटिलमेन्ट के समय कच्चा/पक्का पर्चा लगन जारी होते समय ही ज्ञात था।

तनकी सं0 4:– वादीगण किसी भी प्रकार का कोई अन्य अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो। दा0द0 हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 05 फरवरी 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर